भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1362

उत्तर देने की तारीख- 11/12/2023

जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा

†1362. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

डॉ. सुजय विखे पाटिल:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
डॉ. ढालसिंह बिसेन:
डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री रघु राम कृष्ण राजू:
डॉ. हिना विजयकुमार गावित:
श्री. कृष्णपालसिंह यादव:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनके समक्ष आने वाली शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश भर के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नवीनतम पहल क्या की गई; और
(घ) क्या इन योजनाओं की सफलता को मापने और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इनकी निगरानी और मूल्यांकन किया जा रहा है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
श्री अर्जुन मुंडा

(क) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय छात्रों को उनके ही परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। आजादी के बाद से पहली बार, 2019 में, भारत सरकार ने जनजातीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और दूरस्थ, वन क्षेत्रों, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) , वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया। । तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों के नामांकन के लिए 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ईएमआरएस की योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त संगठन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) की स्थापना की गई है। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

• जनजातीय छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

• 480 छात्रों (240 लड़कियों और 240 लड़कों) की क्षमता (संख्या) के साथ 6वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए पूर्णतः आवासीय विद्यालय।

• प्रत्येक स्कूल में कक्षाएँ, प्रशासनिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, खेल सुविधा, कर्मचारी निवास आदि के लिए बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध है।

• व्यय विभाग ने 38480 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कुल रिक्ति के साथ प्रत्येक ईएमआरएस के लिए 52 पदों को मंजूरी दी है। भर्ती 2022-23 से 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से की जानी है।

• अध्ययन सामग्री और वर्दी (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुकूलित जलवायु कपड़ों सहित) निःशुल्क प्रदान की जाती है।

• नृत्य, संगीत, चित्रकला, ट्रैकिंग, भ्रमण/एक्सपोज़र विजिट, अध्ययन पर्यटन जैसी पाठ्येतर गतिविधियाँ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अजजा आबादी के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं भी लागू कर रहा है: -

i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IXऔर X)

ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और ऊपर)

iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति।

iv) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

इन योजनाओं के तहत निधियां सीधे छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।

जनजातीय बच्चों को शैक्षिक लाभ प्रदान करने के अलावा, सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान समयबद्ध तरीके से गांवों के एकीकृत विकास के लिए 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' की योजना भी तैयार की है। योजना के तहत, अधिसूचित अजजा (एसटी) वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अजजा (एसटी) वाले 36,428 गांवों की पहचान विकास के 8 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात सड़क कनेक्टिविटी (आंतरिक और अंतः गांव/ब्लॉक), दूरसंचार कनेक्टिविटी (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतर को पाटने के लिए और परिपूर्णता लाने में मंत्रालयों के बीच अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रम/गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई है।

इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है जिसका उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है।

ऊपर उल्लिखित सभी योजनाओं में योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए अंतर्निहित तंत्र है। इसके अलावा, कार्यान्वयन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए समय-समय पर हितधारकों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और यदि कोई बाधा हो तो उसे दूर करने के लिए पर्याप्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जनजातीय बच्चों सहित स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- सभी के लिए समग्र शिक्षा क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। यह योजना शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

*****